रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16112022-240303
CG-DL-E-16112022-240303

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5065] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 14, 2022/कार्तिक 23, 1944
No. 5065] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 14, 2022/KARTIKA 23, 1944

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवंम्बर, 2022

का.आ. 5285(अ).—केंद्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 70 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब नेशनल बैंक और इसके सहयुक्त आश्रितताओं के कंप्यूटर संसाधनों को नाजुक सूचना अवसंरचना होने के कारण महत्वपूर्ण बैंककारी समाधान (कोर बैंकिंग सोल्यूशन), वास्तविक समय समग्र निपटान (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट), राष्ट्रीय इलैक्ट्रोनिकी निधि अंतरण (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर), तुरंत भुगतान सेवा स्विच (इमीडिएट पेमेंट सर्विस स्विच), स्वचालित टेलर मशीन स्विच (ऑटोमेटिड टेलर मशीन स्विच),एकीकृत भुगतान इंटरफेस स्विच (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस स्विच) और सोसाइटी फॉरवर्ल्ड वाइडइंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्यूनिकेशन सिस्टमस से संबंधित कंप्यूटर संसाधनों को, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए एतद्वारा संरक्षित प्रणाली घोषित करती है और निम्नलिखित कार्मिकों को संरक्षित प्रणालियों तक पहुंच बनाने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :-

(क) संरक्षित प्रणाली तक पहुंच बनाने के लिए, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत पंजाब नेशनल बैंक का कोई अभिहित कर्मचारी;

(ख) संविदात्मक प्रबंधित सेवा-प्रदाता या तृतीय पक्षकार विक्रेता के दल का कोई सदस्य जिसे आवश्यकता के आधार पर पहुंच बनाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया है;और

(ग) मामला दर मामला के आधार पर, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत कोई परामर्शी, विनियामक, सरकारी पदाधिकारी, संपरीक्षक और पणधारी।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं.2(5)/2022-सीएल]
अमित अग्रवाल, अपर सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2022

S.O. 5285(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 70 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby declares the computer resources relating to the Core Banking Solution, Real Time Gross Settlement, National Electronic Fund Transfer, Immediate Payment Service Switch, Automated Teller Machine Switch, Unified Payments Interface Switch and Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications Systems, being Critical Information Infrastructure of the Punjab National Bank, and the computer resources of its associated dependencies to be protected systems for the purpose of the said Act and authorises the following personnel to access the protected systems, namely: -

(a) any designated employee of the Punjab National Bank authorised in writing by the Punjab National Bank to access the protected system;

(b) any team member of contractual managed service provider or third-party vendor who have been authorised in writing by the Punjab National Bank for need-based access; and

(c) any consultant, regulator, Government official, auditor and stakeholder authorised in writing by the Punjab National Bank on case to case basis.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 2(5)/2022-CL]

AMIT AGRAWAL, Addl. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2022.11.16 11:37:56 +05'30'